



डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: प्रशा./248/2025

दिनांक: 19/07/2025

सेवा में,

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों के शिक्षा संकाय के विभागाध्यक्ष,
2. बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
3. एन0एस0एस0 सगन्वयक।
4. एसोसियेट एन0सी0सी0 अधिकारी।
5. एन0वाई0के0एस0 अध्यक्ष।

महोदय,

शासन के पत्र संख्या-86/सत्तर-7-2025 दिनांक 07.07.2025, विषयक :- "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के सफल आयोज। हेतु एन0वाई0के0एस0, एन0एस0एस0, एन0सी0सी0, बी0एड0 विद्यार्थियों, परिषदीय विद्यालयों के पाँच वर्ष वय तथा इससे ऊपर के वय वाले विद्यार्थियों को वॉलेन्टियर के रूप में प्रयोग किया जाना है। जिसके लिये एक बैठक दिनांक 25-07-2025 को दिन शुक्रवार, अपरान्ह 1:00 बजे, से जुबली हॉल में कार्यक्रम नोडल अधिकारी/सहायक अधिष्ठाता डॉ0 राजेश कुशवाह के समन्वयन में आहूत की जानी है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिनांक 25.07.2025, को दिन शुक्रवार अपरान्ह 1:00 बजे से जुबली हॉल पालीवाल परिसर में ससमय उपस्थित होकर प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। (संलग्नक:- यथोक्त)


कुलसचिव

प्रतिलिपि:

1. मण्डलायुक्त, आगरा।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. अधीक्षक, कुलपति कार्यालय को मा. कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. वित्त अधिकारी।
5. कार्यक्रम नोडल अधिकारी, डॉ0 राजेश कुशवाह सहायक अधिष्ठाता, ISS को इस आशय से प्रेषित कि शासन के निर्देशों के आलोक में कार्यक्रम को क्रियान्वित कराना सुनिश्चित करें।
6. अधीक्षक, कुलसचिव/उपकुलसचिव कार्यालय।
7. कार्यदायी एजेंसी को इस आशय से प्रेषित कि वे इस पत्र को समस्त महाविद्यालयों की लॉगइन आई-डी पर अपलोड करें।
8. अभिलेख खण्ड।


कुलसचिव

सेवा में

कुलसचिव जी

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय

आगरा।

विषय—“नव भारत साक्षरता कार्यक्रम” के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उक्त कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु एक पत्र जो विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित किया गया था, को आपके द्वारा छात्र कल्याण अधिष्ठाता को दिनांक 10.07.2025 को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् छात्र कल्याण अधिष्ठाता द्वारा उक्त पत्र अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 15.07.2025 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

उक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है कि “नव भारत साक्षरता कार्यक्रम” में प्रदेश के समस्त जनपदों में 15 वर्ष से अधिक वय वर्ग के कुल 25 लाख असाक्षरों को ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड के माध्यम से साक्षर किया जाना है जिसमें 75 प्रतिशत महिलायें एवं 25 प्रतिशत पुरुष होंगे। इस कार्यक्रम हेतु बहुत सारे वालेण्टियर की आवश्यकता होगी। वालेण्टियर हेतु कक्षा पांच और उससे ऊपर के स्कूली विद्यार्थियों, अपने विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी बी० एड० कालेजों में बी० एड० के विद्यार्थियों, एन०वाई०के०एस०, एन०एस०एस०, एन०सी०सी० आदि के स्वयं सेवकों, सी०एस०ओ० समुदाय, गृहणियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, पी०आर०आई और अन्य संस्थानों के सदस्यों की आवश्यकता होगी।

अतः उपरोक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु बी०एस०ए०, सभी बी०एड० कालेजों के शिक्षा संकाय के विभागाध्यक्षों, एन०वाई०के०एस० के अध्यक्ष, एन०एस०एस० समन्वयक एवं एन०सी०सी० समन्वयक की एक मितिग आयोजित की जानी आवश्यक होगी। कृपया मितिग आयोजित करने हेतु सक्षम अधिकारी को दिशा-निर्देशित करने का कष्ट करें।

उत्पादित हल - जूबली हल
उ दिनांक - 21/07/25, (सम - 01/07/25)

DR. (H. D. M. N.)

16/07/25

(डॉ० राजेश कुशवाहा)
सहा० अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Dr. Rakesh K. Kishore
for m.a.
15/7/25 DSW

DSW-09
16-7-25

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या- 86/संसार-7-2025

प्रेषक

ई-मेल
आ. कार्यवाही हेतु:

DSW

सेवा में

निधि श्रीवारतव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

- 1-निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2-कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 3-समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

कुलसचिव
10/7/25

उच्च शिक्षा अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 07 जुलाई 2025

विषय- "नव. भारत साक्षरता कार्यक्रम" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-05/अरसउ-2-2025-1818452, दिनांक 14.02.2025 की छायाप्रति सलग्न कर प्रेषित करते हुए अवगत कराना है कि डिजिटल भारत की कल्पना वास्तव में तभी साकार रूप से संभव होगी जब भारत के सभी नागरिक सुशिक्षित/सुसाक्षर होंगे। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिये केन्द्र पुरोनिधानित योजना "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" का वर्ष 2022 से वर्ष 2026-27 तक सुभारम्भ किया गया है। भारत सरकार के निर्देश के क्रम में उक्त योजना को अधिक-प्रभावी व व्यावहारिक बनाने के लिये प्रदेश के समस्त जनपदों में "सामुदायिक वक्तव्य केन्द्र" स्थापित किया जाना है।

164

10/7/25

यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में महाविद्यालय संचालित हैं इन महाविद्यालयों में बी०एड० विभाग में भी शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। इन विभागों में बी०एड० तथा एम०एड० के छात्र प्रवैटवल का भी कार्य करते हैं। उल्लेख- "नवभारत साक्षरता" कार्यक्रम को प्रभावी गति देने में इन विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव



महत्वपूर्ण
प्रतिभाषा सं.- ७५/असस-३-३३३५-१४/३५४०
शैक्षणिक शिक्षा अनुभाग-३
संलग्नक दिनांक १५ फरवरी, २०२५

प्रिय साहोदर,

आप अवगत हैं कि भविष्य के डिजिटल भारत की कल्पना काकाब में सभी साक्षर जन से संभव होने, जब भारत के सभी नागरिक सुशिक्षित/सुसज्जित होंगे। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा साक्षरता के पूर्ण अभियान को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रपुरोन्मुखित योजना "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" का वर्ष २०२२ से वर्ष २०२६-२७ तक का शुभारम्भ किया गया है। भारत सरकार की निर्देशों के तहत ये उक्त योजना को अधिक प्रभावी एवं व्यापकता के साथ प्रदेशों की समस्त जनता को सार्वजनिक योजना केन्द्र स्थापित किया जाना है।

उक्त राज्य इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक स्तर से प्रतिबद्ध है तथा साक्षरता कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार की माइक्रो-प्लान एवं प्रदेश की विभिन्न-विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक एवं परिप्रेषीय पृष्ठभूमि के दृष्टिगत विद्यमान एवं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का उपयोग किया जा रहा है।

२- प्रदेश के समस्त जनपदों में महाविद्यालय संचालित है। इन महाविद्यालयों में दो एक विभाग में भी शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। इन विभागों में दो एक तथा एम.एड. के छात्र प्रशिक्षण का कार्य भी करते हैं। उल्टास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को प्रभावी गति देने में इन विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

३- अतः 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' के क्रियान्वयन की रूपरेखा संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया समस्त जनपदों में स्थापित महाविद्यालयों के दो एक विभाग के प्राध्यापकों को संबंधित जिलों के जिला शैक्षणिक शिक्षा अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर मास्टर ट्रेनिंग से दो एक के छात्रों को विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाए सहयोग प्राप्त कर उपरोक्त लोक कल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन कराने का लोक कल्याणकारी कार्य करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यद्योपरि।

श्री महेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ०प्र०शासन।

Signed by
(दीपक कुमार)
Deepak Kumar

Date: 13-02-2025 14:36:14

'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' के क्रियान्वयन हेतु रूपरेखा ।

लक्ष्य- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के समस्त जनपदों में 15+ वय वर्ग के कुल 25.00 लाख असाक्षरों को ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड के माध्यम से साक्षर किया जाना है, जिसमें 75 प्रतिशत महिलाएं एवं 25 प्रतिशत पुरुष हैं। कार्यक्रम में विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगजन, कैदियों एवं भूमिहीन आदि को साक्षर किया जाना है, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा में अपेक्षित सकारात्मक परिवर्तन हो सके।

क्रियान्वयन की रणनीति-

- 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' की समस्त गतिविधियाँ ऑनलाईन/ऑफलाइन मोड में हों।
- क्रियान्वयन के लिए विद्यालय इकाई है।
- असाक्षरों को साक्षर करने हेतु स्वयंसेवक (वालेण्टियर) के रूप में कक्षा-पांच और उससे ऊपर के स्कूली विद्यार्थियों को अपने परिवार और पड़ोसियों को साक्षर बनाने हेतु प्रेरित किया जाना है।
- उक्त के अतिरिक्त एन.वाई.के.एस., एन.एस.एस., एन.सी.सी. आदि के स्वयंसेवकों, सी.एस.ओ. समुदाय, ग्रहणियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, पी.आर.आई. और अन्य संस्थानों के सदस्यों को स्वयंसेवकों के रूप में प्रोत्साहित कर जनपदों की समस्त शैक्षिक इकाईयों (ब्लॉक संसाधन केन्द्र/क्लस्टर संसाधन केन्द्र/विद्यालयों) उपयोग कर असाक्षरों को साक्षर किया जायेगा।
- वालेण्टियर को किसी प्रकार का मानदेय/भत्ता नहीं दिया जायेगा।

सर्वेक्षण- योजना के तहत असाक्षरों और स्थैधिक शिक्षकों (घोटी) का सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये उत्त्लास सर्वे ऐप के माध्यम से प्रदेश के परिवर्दीय विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा सर्वेयर के रूप में किया जायेगा।

महत्वपूर्ण जीवन कौशल (Critical Life Skills)- 15+ वय वर्ग के असाक्षरों को पढ़ना, लिखना एवं अंको का ज्ञान के साथ-साथ डिजिटल, वित्तीय, कामूनी, आपदा प्रबंधन, कौशल, बच्चों की देखभाल और पोषण, याणित्यिक कौशल, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आहार संबंधी आदतों के बारे में जागरूकता पर परिवार कल्याण के मुद्दे, प्यायाम, योग, नशा निषेध, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल और सड़क दुर्घटना आदि का बचाव और मतदाता पंजीकरण, आधार आदि जैसे विभिन्न फॉर्म भरने के बारे में जागरूकता लाने हेतु क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के तहत साक्षर किया जायेगा।

असाक्षरों को साक्षर बनाने की प्रक्रिया-

- ✓ परिवर्दीय विद्यालयों के सर्वेयर शिक्षक द्वारा उत्त्लास सर्वे ऐप पर 15+ वय वर्ग के असाक्षरों एवं वालेण्टियरों का चिन्हांकन करना।
- चिन्हित वालेण्टियरों को खण्ड शिक्षा अधिकारी, संबंधित विकासखण्ड के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिलाना।
- प्रशिक्षित वालेण्टियर्स द्वारा उत्त्लास सर्वे ऐप के माध्यम से चिन्हित असाक्षरों को उत्त्लास पोर्टल/दीक्षा पोर्टल तथा उत्त्लास प्रवेशिका के माध्यम से ऑनलाइन/ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन करना।

मॉड्यूल अवधि- असाक्षरों को साक्षर करने हेतु मॉड्यूल की अवधि 200 घंटे निर्धारित की गयी है।

असाक्षरों का मूल्यांकन-

- असाक्षरों की कक्षाओं का संचालन करने के उपरान्त उन्हें पढ़ना लिखना एवं अंकज्ञान होने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को साक्षरता परीक्षा का आयोजन कराया जायेगा।
- बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के साथ-साथ महत्वपूर्ण जीवन कौशल सीखने के लिए निर्धारित अवधि तक कक्षा संचालन के पर्याप्त स्थानीय स्थूलों में वर्ष में 02 बार साक्षरता परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसका मूल्यांकन/प्रमाणीकरण राष्ट्रीय मुफ्त विद्यालयी संस्थान (एन0आई0ओ0एस0) द्वारा किया जायेगा।
